



पत्रांक : के०का०वा०/ 373-79 /2022-23, दिनांक : 18/05/2022

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/असाराकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
क्षेत्रान्तर्गत, वाराणसी।

विषय- सत्रका सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित कारनामों के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा महोदय के पत्र सं० 1272/अतार-3-2022-08(14)/2018, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 17.05.2022 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सत्रका सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्रका सुरक्षा के प्रति अस्थापकों/छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

1. शिक्षकों का परिशिक्षण (महाविद्यालय के प्राचार्य, परिवहन विभाग/यातायात पुलिस/पुलिस विभाग के माध्यम से प्राचार्य एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे)।
2. एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/रोवर रेंजर्स द्वारा चौकियों पर प्रचार प्रसार।
3. सेमिनार/गोष्ठी।
4. रोड शोफ्टी वलद का गठन।
5. जागरूकता कार्यक्रम।
6. सत्रका सुरक्षा शपथ।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने महाविद्यालय में उक्तानुसार कार्यक्रम का आयोजन कर, कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय से सम्बद्ध ई० वी० सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (नैसल अधिकारी) एवं इस कार्यालय के ई०मेल० rheovns001@gmail.com, प्राचार्य के वादस्वरूप पत्र पर 04 जून 2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-सकलवत

राजदीय,

डॉ०(मान प्रकाश वर्मा)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सूचना- के०का०वा०/ 373-79 /2022-23, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाय प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा महोदय, उत्तर प्रदेश शासन एवं सचिव अवलोकनायक।
2. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल/मीरजापुर मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल।
3. शिक्षा निदेशक महोदय (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिप्टी विकास अनुभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी/आजमगढ़/बलिया/गजीपुर/मऊ/जौनपुर/बदायूँ/सोनमद/भदोही एवं मीरजापुर।
5. पुलिस अधीक्षक/सहायक सम्भारीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी/आजमगढ़/बलिया/गजीपुर/मऊ/जौनपुर/बदायूँ/सोनमद/भदोही एवं मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कुलसचिव (समस्त राज्य विश्वविद्यालय), क्षेत्रान्तर्गत, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि अपने विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रान्तर्गत समस्त स्वयत्तपोषित महाविद्यालयों को उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निर्देशित करते हुए, वांछित सूचना इस कार्यालय के ई०मेल० rheovns001@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

1. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

18/05/2022
(एस०एल० पाल)
कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-1272/सत्तर-3-2022-08(14)/2018

प्रेषक,

मौनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।
3. विशेष कार्यधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक।

8/2
उच्च जिलाधिकारी (कर)/
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
कृपया नियमावली
कार्यालय में
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, जिलाधिकारी,
उ०प्र०।
वाल्मज
17-5-2022

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2022

विषय- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालयों/समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत रविवार को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

(1) उक्त रविवार को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा सवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. सेमिनार/गोष्ठी

उक्तानुसार रविवार को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के कम में अगले दिन सोमवार को प्रत्येक संस्थान में सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की

जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जायेगा, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, विद्वज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

2- उपरोक्तानुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, छात्र/छात्राओं के मध्य उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों की सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं उनके अधीन आने वाले स्वदत्त पोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोडर रेन्जर्स के समन्वयक अपनी सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05 जून, 2022 तक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 07 जून, 2022 तक निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 10 जून, 2022 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आईडी0-hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1272/सत्तर-3-2022-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक सूचना, उ०प्र०।
- 7- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।

आज्ञा से,

(मनाज कुमार)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

दिनांक 19.05.2022 से 31.05.2022 तक

क्र.सं.	गतिविधि	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षकों का प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय)				
2	NCC/NSS/ Rover Rangers द्वारा जन समान्य के लिये जागरूकता अभियान/ सड़क सुरक्षा रैली				
3	वॉलराइडिंग				
4	सेमिनार/ गोष्ठी				
5	यातायात पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को आमंत्रित कर संस्थानों में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम				
6	रोड सेफ्टी क्लब का गठन				
7	जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन				
8	सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण				